



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241873  
CG-DL-E-11012023-241873

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944

No. 161]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

का. आ. 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561-अ के 0.000 कि.मी. से 27.970 कि.मी. (अहमदनगर-करमाळा-तेम्भूर्णी सेक्शन एन.एच.५६१अ) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने, दो/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में गया है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्किस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, नगर विभाग, अहमदनगर, को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी

और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा ३ग उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561-अ के 0.000 कि.मी. से 27.970 कि.मी. (अहमदनगर-करमाळा-तेम्भूर्णी सेक्शन एन.एच.५६१अ) तक के भूखंड के लिये अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

| राज्य का नाम: महाराष्ट्र |                  | जिले का नाम: अहमदनगर |                 |                                     |                                 |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| क्रमिक संख्या            | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार       | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल<br>(स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर) |
| तालुक का नाम: अहमदनगर    |                  |                      |                 |                                     |                                 |
| गांव का नाम: वालुंज      |                  |                      |                 |                                     |                                 |
| 1                        | 375              | निजी(कृषी)           | कृषी            | 0.0201000 (हेक्टेयर)                | 0.0201000                       |
| कुल                      |                  |                      |                 | 0.0201                              | 0.0201                          |

[फा.सं. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2023

**S.O. 169(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening, two/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 561-A, in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 27.970 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH 561A) in the district of Ahmednagar in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer, Nagar Division, Ahmednagar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 27.970 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni Section of NH 561A) of National Highway No. 561-A in the District Ahmednagar in the State of Maharashtra

| State: MAHARASHTRA |                    | District: AHMEDNAGAR |                |                      |                   |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| S. No.             | Survey/Plot Number | Type of Land         | Nature of Land | Area (in Local Unit) | Area (in Hectare) |
| Taluk: Ahmednagar  |                    |                      |                |                      |                   |
| Village: Walunj    |                    |                      |                |                      |                   |
| 1                  | 375                | Private(Agriculture) | Agriculture    | 0.0201000(Hectare )  | 0.0201000         |
| <b>Total</b>       |                    |                      |                | <b>0.0201</b>        | <b>0.0201</b>     |

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3A]

RAJESH GUPTA, Director